भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 88

दिनांक 20.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन 2.0 की मुख्य विशेषताएँ और प्रस्तावित सुधार

88# श्रीमती सीमा द्विवेदीः
श्री सुभाष बरालाः
डा. दिनेश शर्माः
श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री राजीब भट्टाचार्जीः
डा. कविता पाटीदारः
श्री मस्तान राव यादव बीडाः
श्री चुन्नीलाल गरासियाः
श्री संजय भाटियाः
श्री कणाद पुरकायस्थः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 की मुख्य विशेषताओं और इस मिशन के पिछले चरण की तुलना में इसमें किए गए बड़े बदलावों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस मिशन के तहत कार्यान्वयन ढांचा और वित्तपोषण का तरीका क्या है;
(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के स्रोत की स्थिरता, संचालन और रखरखाव तथा सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए कौन-से सुधार प्रस्तावित किए गए हैं;
(घ) वर्ष 2026-27 के दौरान जेजेएम 2.0 के तहत राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और
(ङ) इस मिशन के तहत सार्वभौमिक और संधारणीय ग्रामीण घरेलू नल जल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए समय-सीमा और लक्ष्य क्या-क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक

सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे को शामिल किया गया है। जेजेएम 2.0 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. मिशन का परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता को 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ii. जेजेएम 2.0 के तहत संरचनात्मक सुधारों, समयसीमा का अनुपालन, योजनाओं की स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

iii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संरचित और एकीकृत फ्रेमवर्क के रूप में तैयार की जाने वाली व्यापक कार्यान्वयन और सुधार आयोजना (सीआईआरपी) ताकि जेजेएम 2.0 की प्रभावी योजना बनाई जा सके और उसका कार्यान्वयन किया जा सके।

iv. *"सुजलाम भारत"* नामक एक-समान राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क की संस्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल रूप से मानचित्रण करते हुए प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी प्रदान की जाएगी।

v. जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना के टिकाऊ और दीर्घकालिक संचालन तथा रखरखाव और योजना के स्रोत की स्थिरता के लिए भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच कार्यनीतिक सामंजस्य की परिकल्पना भी की गई है।

vi. केंद्रीय सहायता का भुगतान एसएएनए-स्पर्श के माध्यम से योजना-वार किया जाएगा।

vii. जेजेएम 2.0 के अंतर्गत कोई नई पाइपगत जलापूर्ति योजना शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि, पीएम-जनमन और डीए-जेजीयूए क्षेत्रों में, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक समिति मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी योजनाओं से संबंधित राज्य कार्य योजनाओं की जांच करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी।

viii. केंद्रित आईईसी और व्यवहारवादी परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक प्रतिभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत, समुदाय तथा ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की सक्रिय भागीदारी के साथ जल उत्सव का आयोजन किया जाएगा और जल रिसाव का पता लगाने, जल संवितरण दक्षता में सुधार लाने, छोटी-मोटी मरम्मत करने तथा परिसंपत्ति का बेहतर प्रबंधन करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्य पूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से चालू करने और उन्हें ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए जल अर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ताकि सामुदायिक स्वामित्व और प्रणालियों का टिकाऊ संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) जेजेएम 2.0 के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आशय सभी ग्राम पंचायतों के 'हर घर जल' प्रमाणन को सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाना है। मौजूदा फंडिंग पैटर्न के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ कैलिब्रेटेड वित्तीय रिलीज रणनीति का उपयोग किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील एकल ग्राम

योजनाओं (एसवीएस), जल की कमी और गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) और सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। भुगतान एसएनए-स्पर्श फ्रेमवर्क के माध्यम से योजना-वार किया जाएगा। भूजल आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संयोजन में चल रही बहु-ग्राम योजनाओं के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी तथा ऐसी योजनाओं के तहत किन्हीं लंबित देनदारियों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की जाएगी।

जेजेएम, एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम होने के नाते, केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधि शेयरिंग पैटर्न 100%, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और बाकी राज्यों के लिए 50:50 है। इसके अलावा, सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) गतिविधियों के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण पैटर्न 100%, हिमालयी, पूर्वोत्तर राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की स्रोत स्थिरता, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) तथा सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए, जेजेएम 2.0 में व्यापक राज्य ओ एंड एम नीतियों, पूर्ण हो चुकी ग्राम स्तरीय अवसंरचना को जल अर्पण के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सौंपने तथा ओ एंड एम के लिए ग्राम पंचायतों/ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को सशक्त बनाने जैसे संरचनात्मक सुधारों की परिकल्पना की गई है। यह मिशन उपयोगकर्ता शुल्क, नल जल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण, सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म और ई-ग्राम स्वराज एकीकरण के माध्यम से डिजिटल निगरानी और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए जल सेवा आकलन को भी बढ़ावा देता है। स्रोत स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के लिए, जेजेएम 2.0 में 'एक डाटा अवधारणा के रूप में जल' के तहत बहु-स्रोत डाटा समूहों का एकीकरण करके एक निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) की शुरूआत की गई है, जलभृत-आधारित योजना को संस्थागत बनाया गया है, जल-संकटग्रस्त गांवों और सुभेद्य स्रोतों की जीआईएस-आधारित पहचान करने का प्रावधान किया गया है, जिला स्रोत स्थिरता कार्य योजनाएं (डीएसएसएपी) तैयार करने का अधिदेश दिया गया है, और पुनर्भरण, जल संरक्षण तथा भूजल की स्थिरता के लिए वित्त आयोग अनुदान और अन्य योजनाओं के सामंजस्य को बढ़ावा दिया गया है।

(घ) वर्ष 2026-27 के दौरान जेजेएम 2.0 के तहत राज्य-वार आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ) जेजेएम 2.0 का उद्देश्य देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करके सभी ग्राम पंचायतों को दिसंबर 2028 तक 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित करने को सुविधाजनक बनाना है।

अनुबंध

दिनांक 20.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्थायी आवंटन	जारी की गई मूल स्वीकृति/एलओए	एसएनए स्पर्श के माध्यम से मूल स्वीकृति के विरूद्ध किया गया व्यय	जेजेएम के दो चरणों के बीच राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	जारी किया गया कुल केंद्रीय हिस्सा/केंद्रीय व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.75	0.16		-	0.16
2	आंध्र प्रदेश	2,631.07	193.61	3.9	23.25	27.15
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	0
4	असम	7,643.22	692.24	664.5	-	664.5
5	बिहार	33.64	-	-	-	0
6	छत्तीसगढ	4,030.24	306.26	0.05	149.5	149.55
7	दादरा नगर हवेली एवं दमण दीव	-	-	-	-	0
8	गोवा	4.5	-	-	-	0
9	गुजरात	1,736.02	0.83	0	-	0
10	हरियाणा	117.78	5.39	-	-	0
11	हिमाचल प्रदेश	258.07	8.85	1.44	-	1.44
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,429.69	116.06	-	-	0
13	झारखंड	2,350.74	141.18	0.22	-	0.22
14	कर्नाटक	5,826.16	196.19	24.59	757.3	781.89
15	केरल	2,118.81	163.38	-	-	0
16	लद्दाख*	436.05	40.95		-	40.95
17	लक्षद्वीप*	233.49	22.63		-	22.63
18	मध्य प्रदेश	5,887.45	12.74	0.000025	2.01	2.01
19	महाराष्ट्र	6,200.70	510.98		125.63	125.63
20	मणिपुर	-	-	-	-	0
21	मेघालय	-	-	-	-	0
22	मिजोरम	-	-	-	-	0
23	नागालैंड	119.87	11.28	-	-	0
24	ओडिशा	2,757.33	101.44	0.02	143.25	143.27
25	पुदुचेरी	0.57	-	-	-	0
26	पंजाब	196.46	6.34	0.01	-	0.01
27	राजस्थान	4,503.18	278.88	0.01	51.66	51.67
28	सिक्किम	-	-	-	-	0
29	तमिलनाडु	2,177.27	12.99		75.21	75.21
30	तेलंगाना	-	-	-	-	0
31	त्रिपुरा	115.99	8.29	2.7	-	2.7
32	उत्तर प्रदेश	13,425.64	812.42	0.04	869.63	869.67
33	उत्तराखंड	352.38	29.18	0.000045	-	0.000045
34	पश्चिम बंगाल	2,775.43	211.67	22.3	-	22.3
कुल		67,363.50	3,883.94	719.78	2,197.45	2980.96

**एलओए के माध्यम से*